"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99]　　　रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016—— चैत्र 3, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2016

क्रमांक 3137/डी. 99/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. —— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27-02-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 10 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 22 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 22 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) सहायक उप-निरीक्षक के स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी का एक जोन अथवा रेंज के जिले से दूसरे जोन अथवा रेंज के जिले में तथा उप-निरीक्षक एवं निरीक्षकों का एक जोन या रेंज या जिले से दूसरे जोन या रेंज या जिले में स्थानांतरण करना;"

(2) मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(4) पुलिस महानिदेशक, प्रत्येक पुलिस रेंज में रेंज पुलिस स्थापना बोर्ड, जो "रेंज बोर्ड" कहलायेगा, गठित करेगा जिसमें रेंज पुलिस महानिरीक्षक इसके सभापति तथा उस रेंज के दो जिला पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे जिनके पास सहायक उप-निरीक्षक स्तर तक के अधीनस्थ श्रेणी का, पुलिस रेंज के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में, स्थानांतरण करने का प्राधिकार होगा.

(5) पुलिस स्थापना बोर्ड, व्यथित पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर अभ्यावेदन देने पर, रेंज बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकेगा."

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2016

क्रमांक 3137/डी. 99/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2016)

THE CHHATTISGARH POLICE (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Police (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 22.

2. (1) For clause (a) of sub-section (2) of Section 22 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :-

"(a) Transfer of subordinate ranks upto the level of and including Assistant Sub-Inspector from a district in one Zone or Range to a district in another Zone or Range and of the ranks of Sub-Inspector and Inspector from one Zone or Range or District to another;"

(2) After sub-section (3) of Section 22 of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

"(4) The Director General of Police shall constitute a Range Police Establishment Board for each Police Range to be called as the "Range Board" with the Range Inspector General of Police as its Chairman and two District Superintendents of Police of the Range as its memberswhich shall have authority to transfer subordinate ranks upto the level of and including Assistant Sub-Inspector from one district to another within the Police Range.

(5) The Police Establishment Board may review the orders passed by the Range Board on representation made by the aggrieved Police Officers within 30 days from the date of order."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.